

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 281
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

वर्चुअल न्यायालय प्रणाली में पारदर्शिता

281. श्री विवेक के. तन्खा :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में वर्चुअल न्यायालय प्रणाली में सुधार करने और पारदर्शिता लाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या कोविड-19 महामारी के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों समेत पूरे भारत के अधीनस्थ न्यायालयों ने कुछ अत्यंत आपवादिक मामलों के अलावा नए मामलों को सूचीबद्ध करना बंद कर दिया था ;

(ग) यदि हाँ, तो न्याय प्रदायगी प्रणाली पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह न्यायालयों की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने में विफलता के कारण हुआ है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्याय विभाग ने राज्यसभा सचिवालय को तारीख 16-12-2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी न्यायालय/न्यायालय कार्यवाहियों के कार्यकरण पर कार्मिक, शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को की गई कार्रवाई के उत्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा वह उक्त समिति के समक्ष लम्बित है ।

(ख) से (घ) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करने पर जानकारी केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती । तथापि, कोविड-19 महामारी के दौरान (24 मार्च, 2020-29 जनवरी, 2022) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रजिस्ट्रीकृत और निपटाए गए मामलों के ब्यौरे उपाबंध पर हैं ।

न्यायालयों के आईसीटी समर्थकरण के वर्धन के लिए उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग द्वारा ई-न्यायालय परियोजना के अधीन निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

- i. वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना (डब्ल्यूएन) के अधीन, (28.01.2022 को यथाविद्यमान) 2957 न्यायालय स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविधि गति के साथ सुसज्जित किया गया है । यह सम्पूर्ण देश में डाटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आधार बनाता है ।

- ii. मामला सूचना साफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई-न्यायालय सेवाओं का आधार बनाता है, प्रचलित फ्री और ओपन सोर्स साफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में, सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
- iii. कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक नया साफ्टवेयर पैच और उपयोगिता निर्देशिका भी मामलों को अच्छी तरह सूचीबद्ध करने में सहायता करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- iv. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आन-लाइन प्लेटफार्म के रूप में सृजित आदेशों, निर्णयों और मामलों का डाटाबेस है। यह देश में सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 19.75 करोड़ मामलों और 16.50 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मुकदमा करने वाले मामले की प्रास्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं (21.01.2022 को यथाविद्यमान)। 2020 में केन्द्रीय और राज्य सरकारों और सांस्थानिक मुकदमेबाजी करने वालों, जिनके अन्तर्गत स्थानीय निकाय भी हैं, को लम्बन मॉनीटरी और अनुपालन सुधारने के लिए एनजेडीजी डाटा तक पहुंचने के लिए अनुज्ञात करने के लिए ओपन एपीआई का आरम्भ किया गया।
- v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एण्ड पुल (2,00,000 एसएमएस प्रतिदिन भेजे गए), ई-मेल (2,50,000 प्रतिदिन भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट्स प्रतिदिन), जेएससी (न्यायिक सेवा केन्द्र) और सूचना कायोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं/मुकदमा करने वालों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि पर वास्तविक समय सूचना प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्म सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल एप में इलैक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल (ईसीएमटी) सृजित किया गया है (3 जनवरी, 2022 तक कुल 72.20 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप सृजित की गई है (3 जनवरी, 2022 तक कुल 16,825 डाउनलोड)। अब जस्ट आईएस मोबाइल एप आईओएस में भी उपलब्ध हैं।
- vi. यातायात चालान मामलों के लिए 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 17 आभासी न्यायालय प्रचालित किए गए हैं। 17 आभासी न्यायालयों द्वारा 1.20 करोड़ से अधिक मामले निपटाए गए हैं और 20 लाख से अधिक (20,40,003) मामलों में 212 करोड़ रुपए (212.01) का ऑनलाइन जुर्माना 19.01.2022 तक वसूला गया है।
- vii. भारत का उच्चतम न्यायालय (लॉकडाउन अवधि के आरम्भ से 08.01.2022 तक) 1,81,909 सुनवाईयां करके वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। उच्च न्यायालयों (57, 39, 966 मामले) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,08,36,087 मामले) ने 30.11.2021 तक 1.65 करोड़ आभासी सुनवाईयां की हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों में वीसी सुविधा समर्थ की गई है। 14,443 न्यायालय कक्षों हेतु 2506 वीसी कैबिनो और वीसी उपकरणों के लिए निधियां जारी की गई हैं। आभासी सुनवाईयां के

संबर्धन के लिए 1500 वीसी लाइसेंस उपाप्त किए गए हैं । 1732 डाक्यूमेंट विजुअलाईजर उपाप्त करने के लिए 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

- viii. अद्यतन विशेषताओं जैसे नया डैसबोर्ड, जिसके अन्तर्गत कई भागीदारों, मामला फाइल करने, वकालतनामा, अभिवचन, ई-संदाय, अनुप्रयोग और मामला पोर्टफोलियो प्रबंधन का विकल्प भी हैं, के साथ विधिक दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए नया ई-फाइलिंग सिस्टम (वर्जन 3.0) चालू किया गया है । प्रारूप ई-फाइलिंग नियम विरचित किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को प्रचालित किए गए हैं । 31.12.2021 को यथाविद्यमान कुल 17 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियम अंगीकृत किए हैं ।
- ix. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलैक्ट्रानिक संदाय के लिए विकल्प अपेक्षित होता है जिसके अन्तर्गत न्यायालय फीस, जुर्माने और शास्तियां भी हैं जो सीधे संचित निधि में संदेय होती हैं । न्यायालय फीस, जुर्माने और शास्तियों का ऑन-लाइन संदाय <https://pay.ecourts.gov.in> के माध्यम से आरम्भ किया गया है । कुल 16 उच्च न्यायालयों ने उनकी संबंधित अधिकारिताओं के भीतर ई-संदाय का कार्यान्वयन किया है । 31.12.2021 तक 23 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।
- x. डिजिटल खाई को पाटने के लिए सरकार ने अधिवक्ताओं और मुकदमा करने वालों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं । सरकार ने ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 451 ई-सेवा केन्द्र क्रियाशील किए गए हैं ।
- xi. प्रौद्योगिकी रूप से समर्थ तामील और समन जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एण्ड ट्रेकिंग आफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) आरम्भ की गई है । इसे वर्तमान में, 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है ।
- xii. एक नया “जजमेंट सर्च” पोर्टल आरम्भ किया गया है जिसमें खंडपीठ, मामले के प्रकार, मामले की संख्या, वर्ष, याची/प्रत्यर्थी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय, तारीख से तारीख तक और पूरे पाठ्य से सर्च करने की विशेषताएं हैं । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है ।
- xiii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से सृजित डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने तथा जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जस्टिस क्लॉक के नाम से ज्ञात 30 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइनबोर्ड सिस्टम 20 उच्च न्यायालयों में लगाए गए हैं ।
- xiv. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के प्रति व्यापक रूप से जागरूकता के सृजन और उनसे परिचित कराने के लिए तथा “स्किल डिवाइड” की समस्या का समाधान करने के लिए ई-फाइलिंग पर निर्देशिका तथा “ई-फाइलिंग पर कैसे रजिस्टर करें” पर ब्रोशर अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है । ई-न्यायालय सेवाओं के नाम से ई-फाइलिंग पर वीडियो

ट्यूटोरियल के साथ एक यू-ट्यूब चैनल सृजित किया गया है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए हैं । इन कार्यक्रमों ने 3,02,614 पणधारियों को कवर किया है जिनके अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारीवृंद, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षणकर्ता, उच्च न्यायालयों का तकनीकी कर्मचारीवृंद और अधिवक्ता हैं ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए गए और निपटाए गए मामलों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	24.03.2020 - 29.01.2022 के बीच रजिस्ट्रीकृत			24.03.2020 - 29.01.2022 के बीच निपटाए गए		
		सिविल	दांडिक	योग	सिविल	दांडिक	योग
1	उत्तर प्रदेश	637593	5128004	5765597	498580	3337591	3836171
2	महाराष्ट्र	657690	1821633	2479323	418039	1098315	1516354
3	बिहार	102848	891994	994842	28944	506383	535327
4	पश्चिमी बंगाल	179405	626711	806116	82779	416770	499549
5	राजस्थान	247411	1166963	1414374	183153	876183	1059336
6	ओडिशा	90434	378578	469012	50781	217020	267801
7	गुजरात	230733	1760235	1990968	206451	1414020	1620471
8	मध्य प्रदेश	189192	1265685	1454877	132888	911338	1044226
9	केरल	302059	1055141	1357200	213032	729232	942264
10	कर्नाटक	467027	2145209	2612236	373456	2012934	2386390
11	तमिलनाडु	403644	1498547	1902191	310432	1399874	1710306
12	दिल्ली	166228	488621	654849	111664	304405	416069
13	हरियाणा	241958	730682	972640	125597	431461	557058
14	पंजाब	251208	696887	948095	136209	551972	688181
15	तेलंगाना	156026	445387	601413	81426	304105	385531
16	आंध्र प्रदेश	202568	368539	571107	104275	261112	365387
17	झारखंड	36026	424560	460586	15417	327458	342875
18	असम	52372	216626	268998	39502	122201	161703
19	हिमाचल प्रदेश	110567	472764	583331	80593	340491	421084
20	छत्तीसगढ़	39686	318484	358170	27275	234983	262258
21	उत्तराखंड	33231	250741	283972	26153	167477	193630
22	जम्मू-कश्मीर	57149	185889	243038	37708	145503	183211
23	चण्डीगढ़	12597	30684	43281	7674	14764	22438
24	गोवा	11723	37050	48773	8317	33528	41845
25	पुडुचेरी	12716	23595	36311	12662	20459	33121
26	त्रिपुरा	6468	46131	52599	5152	38962	44114
27	मेघालय	2334	11134	13468	1492	9803	11295
28	मणिपुर	5640	11957	17597	3289	11229	14518
29	मिजोरम	2358	4747	7105	1833	3873	5706
30	सिलवासा स्थित डीएनएच	861	1935	2796	652	1615	2267
31	नागालैण्ड	334	875	1209	101	379	480
32	दीव और दमण	1227	2190	3417	972	1860	2832
33	सिक्किम	1676	3539	5215	1449	3252	4701
34	लद्दाख	584	1094	1678	456	936	1392
	योग:	49,13,573	2,25,12,811	2,74,26,384	33,28,403	1,62,51,488	1,95,79,891
